

आवासीय कब्जों का विनियमनीकरण

धारा 123 [1] के अनुसार यदि (1) अनुसूचित जाति/जनजाति का भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पकार (2) अन्य जाति का भूमिहीन खेतिहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पकार तथा (3) अनुसूचित जाति/जन जाति का कोई व्यक्ति ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़ कर ग्राम सभा की अन्य भूमि पर 3-6-95 के पूर्व से अपना मकान बनाकर रह रहा हो, तो बेदखल नहीं किया जायेगा तथा यह भूमि आबादी के रूप में वर्गीकृत कर दी जायेगी। इसी प्रकार यदि आवासीय कब्जे की भूमि किसी खातेदार के खाते की भूमि है, तो भी धारा 123 [2] के अन्तर्गत खातेदार से उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को यदि उनका मकान 3-6-1995 से पूर्व का बना है, तो बेदखल नहीं किया जा सकता है तथा ऐसे आवासीय कब्जों की भूमि भी आबादी के रूप में वर्गीकृत कर दी जायेगी। इसके लिए भी उप जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन पत्र दिया जा सकता है। लेखपाल स्वयं भी ऐसे प्रकरणों की जाँच करके तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट करेंगे।

भूमि आबंटन

निर्बल व्यक्तियों की दशा सुधारने तथा उन्हें जीविकोपार्जन उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में निम्न प्रकार के आबंटन भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा किये जाते हैं—

- कृषि आबंटन,
- आवास स्थल आबंटन,
- मत्स्य पालन हेतु तालाब आबंटन,
- वृक्षारोपण आबंटन,
- कुम्हारी कला हेतु स्थल आबंटन।

विभिन्न प्रकार के आबंटनों के लिए वरीयता क्रम अलग-अलग हैं, परन्तु भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा आबंटन के प्रस्ताव से लेकर उप जिलाधिकारी की स्वीकृति तक की प्रक्रिया सामान्य है, जिसे सक्षेप में उल्लिखित किया जा रहा है।



● **आबंटन के लिए पूर्व सूचना :-** भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष (ग्राम प्रधान) व सचिव (लेखपाल) किसी भी आबंटन की पूर्व सूचना कम से कम 7 दिन पहले भूमि प्रबन्धक समिति के सभी सदस्यों को देगा तथा हुग्गी/मुनादी द्वारा गाँव सभा में प्रचारित करायेंगा। इस सूचना में बैठक के दिनांक, स्थान तथा उठाई जानेवाली भूमि का पूरा विवरण, जैसे- खसरा संख्या, क्षेत्रफल आदि दिया जायेगा।

● **उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण :-** विभिन्न प्रकार के आबंटन के लिए उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण मौके पर जाकर लेखपाल द्वारा किया जायेगा तथा कृषि आबंटन की दशा में रूप पत्र- 1 में, आवास आबंटन की दशा में जं.वि० अधिनियम पत्र- 49 में, एवं अन्य आबंटन की दशा में उपलब्ध भूमि की सूची के रूप में उपलब्ध भूमि अंकित की जायेगी एवं बैठक में सबके समक्ष इसका सत्यापन किया जायेगा।

● **पात्र व्यक्तियों की सूची का सत्यापन :-** लेखपाल द्वारा कृषि आबंटन की दशा में पात्र व्यक्तियों की सूची रूप पत्र-2 तथा जं.वि०अ० पत्र- 57 के में, आवास आबंटन की दशा में जं.वि० अधिनियम पत्र- 49 में तथा अन्य आबंटन की दशा में पात्र व्यक्तियों की सूची के रूप में वरीयताक्रम से तैयार की जायेगी। बैठक में यह सूची सबके समक्ष पढ़ कर सुनाई जायेगी तथा भू० प्र०स० द्वारा अनुमोदित करायी जायेगी।

● **आबंटन प्रस्ताव :-** उपलब्ध भूमि तथा पात्र व्यक्तियों की सूची का सत्यापन हो जाने के बाद भू० प्र०स० द्वारा सर्वसम्मति से पात्र व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के आबंटन हेतु उपलब्ध भूमि नियमानुसार वरीयता क्रम से उठाई जायेगी तथा इसका विवरण कार्यवाही पुस्तिका में रखा जायेगा।

● **उप जिलाधिकारी की स्वीकृति :-** भू० प्र०स० द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद लेखपाल, सूचना मुनादी, कार्यवाही की प्रतिलिपि, पात्र व्यक्तियों की सूची, उपलब्ध भूमि की सूची तथा खतौनी के उद्धारण एवं मौके के नजदी नक्शा के साथ अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक/तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी को भेजेगा। उपजिलाधिकारी इसे मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज करके सामान्य इशतहार/सम्मान भुकदमें की तरह तीस दिन की अवधि के लिए जारी करेंगे तथा आपत्तियाँ आर्भोजित करेंगे। आपत्तियाँ प्राप्त होने पर उनको सुनवायी गुणावगुण पर करके आबंटन प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे।

● **आबंटियों को पट्टा वितरण/कब्जा दिस्ताना तथा नामान्तरण :-** पट्टा स्वीकृत हो जाने के बाद नियत प्रारूप में पट्टा आबंटियों को दिया जायेगा तथा उन्हें मौके पर कब्जा दिलावा जायेगा। कृषि आबंटन की दशा में खतौनी में राजस्व निरीक्षक द्वारा दाखिल खारिज के आदेश भी दिये जायेंगे। पट्टा वितरण, कब्जा देने तथा नामान्तरण के प्रमाण पत्र भी आबंटन पत्रावलियों में रखे जायेंगे जो तहसील में रजिस्ट्रार कानूनों अनुभाग में सुरक्षित रखी जायेगी।

